नियमावली

1. संस्था का नाम : जगन्नाथ सेवा समिति कोटा "हाथरस"
2. संस्था का पूरा पता : विद्याभवन ग्राम कोटा, डा0 कोटा, जनपद– हाथरस (उ0प्र0) जो आवश्यक पड़ने पर अन्यत्र भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था का वित्तीय वर्ष : 1 अप्रेल से 30 मार्च तक होगा ।
5. उद्‌देश्य : संस्था के स्मृति पत्र में अंकितानुसार होगें ।
6. संस्था की सदस्यता : प्रत्येक स्त्री–पुरूष जो 18 वर्ष से अधिक आयु की हो, मासिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, संस्था का सदस्य हो सकेगा ।
7. सदस्यों के वर्ग : (अ) संस्थापक सदस्य– कोई व्यक्ति जो क्रमांक 6 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसने संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली पर हस्ताक्षर किये हो तथा स्था को एक मुश्त रू0 11000.00 ग्यारह हजार या उसके अधिक दान में लिये हैं वे संस्थापक सदस्य कहलायेगें ।

(ब) आजीवन सदस्य– कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 6 के अनुसरर संस्था के सदस्य बनने कीं योग्यता रख्ता हो और वह रू0 1000.00 एक हजार या अधिक आजीवन सदस्यता शुल्क दान में देकर संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदनं कर सकता है, जिसे वर्तमान संस्थापक सदस्य एवं आजीवन सदस्य दो तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन किये जाने पर संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा ।

(स) संरक्षक सदस्य – कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 6 के अनुसर संस्था के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह रू0 10,000.00 दस हजार

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. शान्तीदेवी 8. 9. गायत्रीदेवी 10. आर्चना 11.

रूपये या अधिक संरक्षक सदस्यता शुल्क को दान स्वरूप देकर संस्था के संरक्षक सदस्यता के लिये आवेदन कर सकता और संस्थापक सदस्य के दो तिहाई बहुमत के आधार पर अनुमोदित होने पर संरक्षक बन सकेगा ।

(द) मनोनीत सदस्य– कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 6 के अनुसार संस्था की सदस्यता योग्यता रखता हो तथा संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित में उसकी विशेष आवश्यकता अनुभव करती है तो ऐसे किसी व्यक्ति की प्रबन्धकारिणी समिति ऐसे व्यक्तियों को मताधिकार नहीं होगा ।

पदाधिकारी– 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. मंत्री (प्रबन्धक) 4. उपमंत्री (उपप्रबन्धक)

संस्था के निर्माण होने से प्रथम बीस वर्षो तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री (प्रबन्धक) तथा उपमंत्री (उपप्रबन्धक) केवल संस्थापक सदस्यों मे से भी चुने जा सकेगें यदि वे जीवित हैं ।

8. आम सभा का गठन : संस्था के संस्थापक, आजीवन, साधारण एवं मनोनीत सदस्यों का समूह ही आम सभा कहलायेगा ।

9. आम सभा के कार्य :

(क) प्रत्येक पॉच वर्ष बाद अपने सदस्यों में से आम सभा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव करेगी ।

(ख) वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब पास करना ।

(ग) संस्था की नीति निर्धारित करना ।

(घ) वार्षिक बजट स्वीकार करना ।

(ङ) भृष्ट सदस्यों को संस्था से निकालने का अधिकार आम सभा को होगा ।

10. कार्यकारिणी समिति का गठन: (क) प्रत्येक पॉच वर्ष बाद आम सभा अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

7. ..... 8. ..... 9. ..... 10. ..... 11. .....

समिति का चुनाव करेगी । जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 9 और अधिक से अधिक 15 होगी ।

(ख) संस्था में एक सदस्य कामगार और एक महिला सदस्य अवश्य होगें । कोई भी सदस्य पुनः ही चुना जा सकता है

11. कार्यकारिणी समिति के कार्य: (क) अपने सदस्यों में से पदाधिकारियों का चुनाव करना ।

(ख) संस्था के संचालन एवं आम सभा के प्रस्तावों का पालन करना और योजना बनाना ।

(ग) बजट बनाना और अउसको आम सभा से स्वीकृति कराना ।

(घ) संस्था के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना एवं आवश्यकतानुसार प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण करना ।

(ङं) कार्य कर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा समितियों का गठन करना ।

(च) ऋण अनुदान लेने व देने को स्वीकार करना तथा बैंक से लेन देन अधिकर देना ।

(छ) मंत्री/प्रबन्धक द्वारा हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट स्वीकार करना ।

(ज) अन्य आवश्यक कार्य को संस्था के हित में हों, करना ।

(झ) एक हजार रूपये अधिक व्यय की अनुमति व स्वीकृति देना एवं बिल पास करना ।

12. संस्था के पदाधिकारी : 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. प्रबन्धक/मंत्री 4. उपप्रबन्धक/उपमंत्री संस्था के प्रथम बीस वर्षो तक चारों पदाधिकारियों को केवल संस्थापक सदस्यों में से ही चुने जायेगें यदि वो जीवित हों ।

13. पदाधिकारियों के कर्तव्य : (1) अध्यक्ष—

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. शान्ती देवी 8. 9. गायत्री देवी 10. अर्चना 11. राधा

(क) संस्था की कार्यकारिणी समिति व आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना ।

(ख) संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य जो कार्यकारिणी समिति व आम सभा से स्वीकृत हों करना ।

(ग) संस्था की आम देखभाल करना ।

(2) उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्य करना ।

(3) प्रबन्धक / मंत्री

(क) संस्था की आवश्यकतानुसार आम सभा या कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना व उसकी कार्यवाही लिखाना तथा अगली बैठक में उसे स्वीकार कराना ।

(ख) संस्था की हिसाब किताब सम्बन्धी समस्त कागजातों को तैयार करवाना, सुरक्षित रखना एवं संस्था द्वारा नियुक्ति चाटर्ड एकाउन्टेण्ट द्वारा उसका ऑडिट रिपोट कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करना । संस्था के बाहर जाने वाले कागजातों को प्रमाणित करना ।

(ग) संस्था के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन बृद्धि, पदोनन्नति, अवकाश एवं निलम्बन व प्रथक करना । उनकी सेवा के नियम बनाना व उनके कार्यों की देखभाल करना । उनपर निर्णय लेकर कार्यवाही करना । जिसकी संस्तुति 6 माह के अन्दर कार्यकारिणी से कराना आवश्यक होगा ।

(घ) संस्था की पूँजी को कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखना व निकालना व

23-7-13

1. 2. जगदीशप्रसाद 3. शिवकुमार 4. रुद्रदत्त 5. 6.
7. शान्तिदेवी 8. 9. गायत्रीदेवी 10. अर्चना 11. राधा

संस्था के समस्त वाउचरों को स्वीकार करना ।

(ङ) संस्था की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक हजार रूपये के व्यय को स्वीकृति प्रदान करना एवं व्यय करना ।

(च) संस्था के हितार्थ सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग / बोर्ड / खादी और ग्रामोद्योग व संस्थाओं व किसी व्यक्ति से सहायता व अनुदान प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार करना ।

कोषाध्यक्ष ~~(छ)~~ अन्य समस्त ऐसे कार्य हो संस्था के हितार्थ हों और संस्था की उद्देश्यों तथा आम सभा /कार्यकारिणी समिति के नियमों के विरूद्ध न हों करना ।

उपप्रबन्धक / उपमंत्री

प्रबन्धक मंत्री के सभी कार्यों में सहयोग करना तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना एव अन्य ऐसे कार्य करना जो प्रबन्धक / मंत्री अथवा कार्य समिति ने उसके लिए सुपुर्त किये हो ।

14. बैठकें : (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान आम सभा की कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है ।

(ख) वार्षिक आम सभा की बैठक आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अवश्य बुलाई जायेगी ।

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की कम से कम चार बैठकें होना आवश्यक है ।

15. कौरम : आम सभा का कोरम 2/3 तथा कार्यकारिणी समिति का कोरम 1/3 होना आवश्यक है । लेकिन स्थगित की गयी बैठक यदि उन्हीं विषयों पर विचार के हेतु पुनः बलाई जाती है तो इसके लिए कोरम

23-7-19

1. [signature] 2. [signature] 3. [signature] 4. [signature] 5. [signature] 6. [signature]
7. शान्तीदेवी 8. [signature] 9. गायत्री देवी 10. अर्चना 11. राधा

पूर्ण होने की पाबन्दी नहीं होगी ।

16. बैठक की सूचना : आम सभा की बैठक की सूचना दस दिन पूर्व तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व देनी होगी । विशेष परिस्थितियों में बुलाई गयी बैठक के लिए चौबीस घंटे पूर्व दी गयी सूचना प्राप्त होगी ।

17. सदस्यता के पृथकीकरण:
(1) सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर ।
(2) नैतिक अपराधों में दंडित होने पर ।
(3) आचरण भ्रष्ट होने पर व दिवालिया हो जाने पर ।
(4) संस्था विरोधी आचरण करने पर ।
(5) मृत्यु होने पर ।
(6) सदस्यता शुल्क न देने पर तथा पागल हो जाने पर ।
(7) कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य यदि लगातार तीन बैठकों में बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थिति रहता है तो उसकी कार्यकारिणी समिति की सदस्यता स्वतः ही समाप्त होजायेगी ।

18. रिक्त स्थान की पूर्ति : कार्यकारिणी सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिए कार्यकारिणी समिति, समिति के सदस्यों में से कर सकेगी ।

19. नियमों में परिवर्तन/संशोधन : (क) संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पास होने के पन्द्रह दिन यदि आम सभा की बैठक में पुष्टि करायी जायेगी तथा इसके बाद विशेष आम सभा की बैठक में भी पुष्टीकराकर संशोधित प्रस्ताव निबन्धक सोसाइटीज को प्रबन्धक/मंत्री उसके नियमानुसार एक माह के अन्दर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकेगा ।

23/7/19

1. [signature] 2. जगदीश प्र० शा० 3. शिव कुमार 4. [signature] 5. [signature] 6. R. K. [signature]
7. शान्ती देवी 8. [signature] 9. गायत्री देवी 10. अर्चना 11. राधा

(ख) उद्देश्यों के अन्तर्गत उपनियम बनाने का अधिकार कार्यकारिणी समिति का होगा । परन्तु उनकी भी उपरोक्तानुसार पुष्टि करा कर ही संशोधिन हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

20. कानूनी कार्यवाही : संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही संस्था के प्रबन्धक/मंत्री के नाम से होगी ।

21. संस्था का धन किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से जमा होगा तथा प्रबन्धक/मंत्री एवं किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से धन निकाला जा सकेगा ।

22. संस्था के अभिलेख : सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाम्प रजिस्टर, कैश बुक, रसीद बुक आदि जो आवश्यक हों ।

23. ऑडिट : संस्था के वार्षिक आय व व्यय की जॉच कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त चाटैड एकाउन्टैन्ट द्वारा करायी जायेगी ।

24. संस्था का विघटन : यदि विशेष परिस्थतियों में किन्हीं कारणोंवस संस्था का विघटन अनिवार्य हो जाय तो देन दारियों का भुगतान करने के पश्चात जो भी सम्पत्ति बचती है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 21 सन् 1860 की धारा 13 व 15 के अनुरूप कार्यवाही करके किया जायेगा ।

सभी सदस्यों के हस्ताक्षर

1. J. P. [signature] 2. [signature] 3. [signature] 4. [signature] 5. .... 6. [signature]

7. [signature] 8. .... 9. [signature] 10. अर्चना 11. राधा

स्थान : [illegible]

दिनांक : 2/11/98

[signature] 23-7-13

सत्यप्रतिलिपि सत्यापित

हस्ताक्षर प्रबन्धक/मंत्री

J. P. [signature]

संशोधित-स्मृतिपत्र

1-संस्था का नाम - जगन्नाथ सेवा समिति

2-संस्था का पता - विद्याभवन ग्राम कोटा पो0 कोटा जनपद हाथरस उ0प्र0 ~~आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।~~

3-संस्था का कार्यक्षेत्र - समस्त उत्तर प्रदेश ।

4-संस्था के उद्देश्य -

1- क्षेत्र के अशिक्षित बालक, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान कला, विज्ञान कार्मिक अथवा अन्य ललित कलाओं के लिए शिक्षण हेतु प्राईमरी जूनियर विद्यालयों की स्थापना करना ।

2- क्षेत्र के शिक्षित, किन्तु बेरोजगारों युवक युवतियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्व:रोजगार कमाने लायक बनने के लिए नि:शुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अथवा विद्यालय स्थापित करना ।

3- समाज के निर्बल एंव बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग का उत्पादन तथा बिक्री करना इसके तहत होने वाले मार्जिन को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एंव चैरीटेबिल कार्यो में खर्च करना ।

4-संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु-

(अ) चन्दा, दान, ऋण, अनुदान तथा शिक्षण शुल्क स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना ।

(ब) किसी भूमि, भवन तथा चल-अचल सम्पत्ति से अनुदान से प्राप्त करना, कय करना व्यवस्थित रखना, हस्तान्तरण अथवा पट्टे या किराये पर लेना या अनुज्ञा द्धारा अन्य साधनों से प्राप्त करना।

(स) संस्था की भूमि पर भवनों का निर्माण मरम्मत एंव उन्हें बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय, आदि आवश्यकय प्रोयोगिक सुविधाओं से सुसज्जित करना ।

(द) संस्था की भूमि भवन तथा चल-अचल सम्पत्ति विक्रय करना हस्तान्तरण करना विनिमय करना बन्धक रखना पट्टे या किराये पर उठाना या अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तान्तरण करना किन्तु यह सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना बेध नही होगा ।

.....2 पर

5. संस्था का उददेश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह– जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र– छात्राओं का सामाजिक, नैतिक,बोद्धिक, शैक्षिक, चारित्रक,शारीरिक, साहित्यिक ,रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

6 संस्था क्षेत्र के शैक्षिक व बौद्धिक विकास हेतु सम्पूर्ण देश के अंतर्गत नर्सरी से इण्टर स्नातक, स्नातकोत्तर, बी0 एड, एम0 एड, एल0एल0बी0, बाल श्रमिक विद्यालय, व कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र खोलना व शिक्षा विभाग के अनुमोदन पाठ्यक्रम के अनुरूप यू0पी0बोर्ड, आई0सी0एस0ई0, आई0 एस0सी0 बोर्ड, स्तर के विद्यालय /महाविद्यालय,एवं नई दिल्ली– सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त कर पठन– पाठन की सम्पूर्ण व्यवस्था करना। .

7. संस्था का उददेश्य छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बी0 टेक0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0,बी0सी0ए0,एम0सी0ए0, प्रबन्धन महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फार्मेसी कॉलेज, आर्टिक्टैक्चर, टाउन प्लानिंग,होटल मैनेजमैन्ट, कैटरिंग टैक्नौलॉजी, एप्लाइड आर्ट एण्ड ग्राफ, ~~मैडीकल [illegible] डैन्टल महाविद्यालय~~, एवं पोलीटेक्निक, वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर, की स्थापना करना ।

8. संस्था का उददेश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनकेछात्रवृत्ति की निःशुल्क समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीडा स्थल, व्यायामशाला, तरणताल, बुक बैंक, की निःशुल्क व्यवस्था करना ।

9. संस्था का उददेश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें निःशुल्क तकनीकि एवं व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण देकर / दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना ।

10. कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्कस्थापित कर सहायता प्राप्त करना

11 संस्था का उददेश्य समय –– समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्यरक्षा शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम मद्यनिषेध कार्यकम चलाना।

12. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार , निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला ,दस्तकारी, दरी, कालीन ड्राइंग पेंटिंग कला प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण, पेंटिंग, मेंहदी आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना ।

13. निर्धन, अनाथ, असहाय, लोगों एंव बृद्धजनों के कल्याण हेतु आत्म निर्भर बनाने हेतु सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाना व सुलभ ग्रामोद्योगी एवं निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण देकर / दिलाकर उन्हें स्वालम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना तथा उनके आश्रय स्थल की स्थापना करना एवं निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता कार्यक्रम चलाना तथा विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना ।

...2..पर

14. नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछडे एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण, कार्यक्रमों आदि को चलाना व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

15. नागरिकों में सामाजिक जनचेतना जागृत कराना एवं विज्ञापन पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से एड्स एवं हैपेटाइटिस के बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स से प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना ।

16. संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निःशुल्क तकनीकि एवं व्यावसायिक,चिकित्सकीय शिक्षण –प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना ।

17. कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्रदान करना ।

18. संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहतशिविरों,नेत्र रक्षा शिविर, जनजागृति शिविरों, कला –प्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा निःशुल्क प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम,बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्य निषेध कार्यक्रम चलाना।

19. देश–विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना एवं संस्थाओं के विकास हेतु पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना ।

20. पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कराना एवं पौधशाला की स्थापना करना एवं ऊसर खाली पडी बंजर भूमिपर सरकार के माध्यम से सघन वृक्षीकरण करना एवं बनीकरण को बढावा देना ।

21. खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों के संरक्षण प्रशोधन पैकिंगकरना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना ।

22 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक पिछडेपन को दूर करना एवं अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना शासन द्वारा अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना ।

23 निर्धन एंव अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,यूनीसेफ, हडको, महिला एंव बाल विकास विभाग,कपार्ट,काई,सिप्सा, नावार्ड,आवार्ड,नौराड, डूडा,सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय, महिला कोष,बाल विकास पुष्टाहार,महिला कल्याण एंव बाल कल्याण निधि महिला कल्याण निगम,राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय ,पर्यावरण मंत्रालय,मत्स्य विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय ,राजीव गॉधी फाउन्डेशन,विश्व स्वास्थ्यसंगठन, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों कोचलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

संस्था का नाम – जगन्नाथ सेवा समिति विद्याभवन ग्राम कोटा पो0 कोटा जनपद हाथरस उ0प्र0

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष – 2011 – 2012

क्र.सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री जगदीश प्रसाद सारस्वत	ग्राम पोस्ट गोरई अलीगढ़	अध्यक्ष	से0निवृत
2–	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	6 साकेत कॉलोनी सुरेन्द्र नगर अलीगढ़	उपाध्यक्ष	से0निवृत
3–	श्री शिवकुमार	ग्राम पोस्ट कोटा हाथरस	मंत्र/प्रबन्धक	नौकरी
4–	श्री भूदत्त	ए–234 विजयनगर सेक्टर–9 गाजि.	उपमंत्री/ उपप्रबन्धक	नौकरी
5–	श्री हृदेश चन्द्र	एल–97 कृष्णबिहार दिल्ली ।	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6–	श्री रजनीकान्त जयपंडित	करमसद जिला खेड़ा गुजरात	सदस्य	व्यापार
7–	श्रीमती शान्ती देवी	ग्राम पोस्ट गोरई अलीगढ़	सदस्य	गृहकार्य
8–	श्रीमती धर्मलता	ग्राम पोस्ट गोरई अलीगढ़	सदस्य	नौकरी
9–	श्रीमती गायत्री देवी	न्यू बैंक कालोनी सुरेन्द्र नगर अलीगढ़	सदस्य	गृहकार्य
10–	श्री अर्चना	ग्राम पोस्ट कोटा मुरसान हाथरस	सदस्य	गृहकार्य
11–	श्रीमती राधा	ग्राम श्यामगढ़ी पोस्ट गोरई अलीगढ़	सदस्य	गृहकार्य